

सम्राट अशोक के स्तम्भ लेखों का सारांश प्रस्तुत करें।
 या सामान्य परिचय प्रस्तुत करें।

प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति, धार्मिक एवं पर्यावरण के अध्ययन की दृष्टि से प्राचीन भारतीय स्तम्भ लेखों का विशेष महत्व है। भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में भी यह कम महावर्णन तथ्य नहीं है कि हम प्राचीन भारतीय सभ्यता के इतिहास को प्रमाणिक अध्ययन के लिए प्राकृत के प्रमुख स्तम्भ लेखों का अध्ययन आवश्यक है।

सम्राट अशोक ने प्रथम स्तम्भ लेख में उसने इदल्लोक और पारलोकिक उदरस के प्रति के लिए उच्चतम भा उत्तम धर्मानुराग, आत्म परीक्षा, परसेवा, भय एवं उत्साह को आवश्यक बताया है और कहा है कि लोग उसके अनुशासन से इस बातों का पालन कर आदर एवं अनुराग में प्रवृत्ति का जिज्ञासा बना रहे। इस प्रकार इस स्तम्भ लेख में अशोक ने धर्म द्वारा प्रजा का पालन रूपी अपने विचारों को उन्नीष करवाये

द्वितीय स्तम्भ लेख में सम्राट अशोक ने बड़े ही सुन्दर ढंग से संक्षेप में धर्म के परिभाषा पर प्रकाश डाला है तथा अपने द्वारा किये गये कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख किया है तथा कहा है कि सभी लोग इसका अनुकरण करें। अशोक ने इस स्तम्भ लेख में कहा है कि धर्म उत्तम है किन्तु क्या है इसके बारे में कहा है कि कम से कम पाप करना तथा बहुत अधिक कल्याणकारी कार्य करना, दया, दान, सत्य एवं पवित्रता का भावना मन में रखना।

अशोक ने तृतीय स्तम्भ लेख में आत्मानुशासन पर बल दिया है। अशोक का संदेश है कि मनुष्य अपने द्वारा किये गये अच्छे कर्मों को तो देखता पर बुरे कर्मों अर्थात् पापों को नहीं देखता है किन्तु इसे भी देखना चाहिए क्योंकि ये पाप ही भोर ले जाने वाले होते हैं जैसे क्रोध, मात, ईर्ष्या। वस्तुतः अपने कर्मों को इस दृष्टि से भी देखना चाहिए कि यह कार्य इदल्लोक और पारलोक के लिए अच्छा है या नहीं।

चतुर्थ स्तम्भ लेख में अपने अधिकारियों के कार्यों का उल्लेख किया है इसके अन्तर्गत उनके अधिकार एवं कर्तव्यों की व्याख्या की गयी है तथा अपनी आज्ञा को सर्वोत्तम बताया है और कहा है कि राज्य को का प्रजा के साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा धातु और शिशु की के बीच होता है अर्थात् उनका कर्तव्य प्रजा की सुख-सुविधा का ध्यान रखना है, इस दृष्टि से अशोक ने भाष्य की प्रकृषा और दण्ड देने में अद-भाव न करने की बात कही है कैदियों के प्रति किये जानेवाले व्यवहारों का भी उल्लेख किया गया है इसके अनुसार बन्धन और मृत्यु दण्ड प्राप्त कैदियों को अपनी सजा के प्रति पुनर्विचार की अपील करने के लिए तीन दिनों का

समय दिया जाता था। दण्डित व्यक्तियों के प्रति अशोक का ध्यान रहता था। वह कैदियों को खजा माफी हेतु दान एवं उपवास करने का सुझाव देता था ताकि खजा समाप्त कर परलोक का लाभ पा सके, तथा जनता पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े।

सम्राट अशोक ने पंचम स्तम्भ लेख में जीव हिंसा पर प्रकाश डाला है, उसने कुछ जीवों पर हत्या करने को रोक भी लगा दिया था। इस प्रकार इस शासन के द्वारा जीव हिंसा को नियंत्रित किया गया है। उसने कहा है कि जीव से जीव का शोषण नहीं होना चाहिए।

षष्ठम स्तम्भ लेख में अशोक ने अपने धर्म लेख लिखवाने का प्रयोजन को बताते हुए कहा है कि मैंने लोक के हित और सुख के लिए महर्धर्म लेख लिखा है। राजा प्रजा के बीच के सम्बन्ध के विषय में अपने दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण किया है और सप्तम स्तम्भ लेख में अशोक ने धर्मानुशासन बरतने का निश्चय किया ताकि जनता उन्हें जान-बुझकर उनका अनुशासन करे इसके लिए उसने राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति की। साथ ही धर्म स्थापित किये धर्म महामात्रों की नियुक्ति की तथा धर्म की घोषणा करायी, सार्वजनिक हित हेतु राज्यों पर दण्डादार वृक्ष लगवाये तथा इंद्र, खुदवाये आदि अनेक कर्म किये।

अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि सम्राट अशोक धर्म के विशिष्ट गुणों का भ्रवहारिक जीवन में किस प्रकार पालन करना चाहिए, इसकी चर्चा बार-बार अपने स्तम्भ लेखों में किया है अतः अशोक ने अपने अभिलेखों में जिस धर्म का प्रचार किया है वह सार्वभौमिक का सार कहा जा सकता है।